राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–77 / 2019

1. देवकरण पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. सत्यपाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
3. अमित पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
4. बसन्ती पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
5. महिमा पुत्री शिशराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
6. सुनिल पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
7. सुमन पुत्री शिशराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
8. रामकरण पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
9. शिवलाल पुत्र भूदाराम जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. दाखी पत्नी लेखराम
2. पतासी पुत्र लेखराम
3. शारदा पुत्री लेखराम
4. सुनिता पुत्री लेखराम
5. सुभाष पुत्र लेखराम
6. गिरधारी पुत्र सुखदेवा
7. महेन्द्र पुत्र सुखदेवा
8. मोहनलाल पुत्र गज्जुराम
9. छोटुदेवी पत्नी मोहनलाल
10. पूर्णमल पुत्र गज्जुराम
11. बीरबल पुत्र गज्जुराम
12. सुल्तानसिंह पुत्र गज्जुराम
13. रामनिवास पुत्र गज्जुराम

(1 से 13) समस्त जाति जाट निवासी भीखनसर उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मदनसर जिला झुंझुनूं।
15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
17. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

<u>प्रार्थना पत्र अ.धा 251ए. भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.09.2021

प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र के जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की खातेदारी की भूमि ग्राम टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के उत्तर व दक्षिण में स्थित है। प्रार्थी देवकरण की भूमि की खातेदारी की भूमि ख.न. 560 है, जो उक्त रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थी संख्या 02 सत्यपाल की खातेदारी की भूमि ख.न. 563 है जो टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण 03 लगायत 07 व अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 की खातेदारी की भूमि ख.न. 456 टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के उत्तर दिशा में स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 06 व 07 की खातेदारी कि भूमि ख.न. 555 व 556 टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा प्रार्थी रामकरण की खातेदारी की भूमि ख.न. 464 व 558 टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ स्थित है। प्रार्थी शिवलाल की खातेदारी की भूमि ख.न. 465 व 557 टांई से बैरास जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ स्थित है। उक्त भूमियां ग्राम भीखनसर में स्थित है।

प्रार्थीगण ग्राम भीखनसर के निवासी हैं। ग्राम भीखनसर से एक रास्ता A B C D E टांई से बैरास जाने वाले रास्ते में आकर मिलता है। A बिन्दू पर गांव की आबादी है। जहां तक सड़क बनी हुई है तथा बिन्दु A से B तक ख.न. 212, 213, 214 के खातेदार को अवरूद्ध नहीं कर रहे हैं। खेत ख.न. 212, 213, 214 में 12 फुट चौड़ा रास्ता स्थित है तथा ख.न. 486 व 490 के खातेदार भी रास्ता नहीं रोक रहे हैं। 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजुद है। इसलिए ख.न. 486 व 490 के खातेदारान को व ख.न. 212, 213, 214 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। B बिन्दू से E बिन्दू तक अप्रार्थीगण 08 लगायत 13 की खातेदारी की भूमि है, जिन्होंने B C D E रास्ता को मात्र पगडण्डी बना दिया है। B C D E भूमि ख.न. 477, 478, 479 अप्रार्थीगण 08 लगायत 13 की है।

B C D E के खातेदारान ने 12 फुट चौड़ा रास्ता को 3 फुट रास्ता मौके पर छोड़ रखा है। उक्त रास्ता सकड़ा कर देने से प्रार्थीगण अपने खेत की बुआई करने व उसमें से फसल लाने ले जाने से बाधित हो गये हैं। तथा उक्त रास्ता B C D E से पशु आदि नहीं ले जाने देते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 01 लगायत 07 B C D E रास्ता को 12 फुट चौड़ा करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र B C D E रास्ता को चौड़ा करवाने के लिए अर्थात प्रार्थना पत्र (Enlarging the existing way) बाबत है। उक्त रास्ता A B C D E खेतों का रास्ता जब ग्राम भीखनसर आबाद हुआ तब से है। अप्रार्थीगण 08 लगायत 13 ने B C D E रास्ता सकड़ा कर दिया जिसको प्रार्थीगण 12 फुट चौड़ा करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाब देही की गई।

अप्रार्थीगण 10, 11 व 13 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थीगण के खेतों में मौजूद उक्त रास्ता भीखनसर होकर बैरास जाता है। यहां प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते आ रहें हैं कि उनके खेत में आने जाने हेतु कटानी रास्ता मौजुद है। प्रार्थीगण के खेत हेतु एक अन्य रास्ता भी ख.न. 570, 541, 200, 202 में होकर आता है। जो प्रार्थीगण के खेत के पास राजकीय भूमि ख.न. 565 तक आता है। जो कि प्रार्थीगण के खेत ख.न. 555, 556 के नजदीक सींव के पास है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए दो राजकीय रास्ते मौजुद हैं।
2. रास्ता A B C D E मौके पर मौजुद नहीं है।
3. प्रार्थना पत्र की धारा 3 में रास्ता B C D E तीन फुट रास्ता बताया गया है। तथा प्रार्थना पत्र की धारा 2 में उक्त रास्ता पगडण्डी बताया गया है जब की मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थीगण के पास पहले से गांव भीखनसर में जाने के लिए दो रास्ते मौजुद हैं। ऐसे में प्रार्थीगण की सुविधा के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया जा सकता है।
4. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं 01 लगायत 07 के पास भीखनसर में अपने खेत में आने जाने के लिए पहले से मौके पर 02 राजकीय रास्ते मौजुद हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार से रिपोर्ट तलव की गई जो निम्न प्रकार हैं कि ग्राम भीखनसर से चलकर ख.न. 212, 486, 790, 479 तक लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर चालु है तथा ख.न. 477, 471 में पगडण्डी चालु है जो ग्राम वैरास से टांई जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त रास्ता/पगडण्डी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्राम भीखनसर कि आवादी के पश्चिमी दिशा से एक कटानी रास्ता जाता है जो टांई से बैरास जाने वाले रास्ते पर मिलता है। उक्त ख.न. 555, 556 टांई से बैरास जाने वाले कटानी रास्ते पर स्थित है। ख.न. 479, 477, 471 के काश्तकारों के भी भीखनसर से टांई जाने वाले कटानी रास्ता लगता है। जब की उक्त खातेदार ख.न. 212, 486, 490 से आवागमन करते हैं। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त जांच रिपोट्र पर अप्रार्थी सं. 11 द्वारा आपत्ति ऐतराज का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रा0 पत्र में अंकित खसरा नम्बरान (प्रार्थना पत्र में वर्णित), जबाब प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों एवं ख.न. को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 08, 10, 11 के साथ मौका देखा गया। इस प्रकरण में वांछित ख.न. में जाने के लिए एक नहीं दो–दो मौके एवं रिकार्ड के अनुसार रास्ते मौजुद एवं प्रचलन में हैं, उसी रास्ते पर प्रार्थी को मौके पर बुलाया तो प्रार्थी ट्रेक्टर से स्वयं आया व दोनों रास्तों पर सरकारी गाड़ी के आगे–आगे चलकर स्वयं ने सारे तथ्य व मौके दिखाये। इस प्रकार आवेदित ख.न. पर पहुंच के लिए दो–दो रास्ते उपलब्ध होने पर उक्त धारा में वर्णित औचित्य सावित नहीं होता है। प्रार्थी सीधा अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता चाहता है। जो काश्त की मंशा के अनुरूप प्रतित नहीं होता है। अप्रार्थीगणों द्वारा पगडण्ड़ी को भी रोका हुआ नहीं है। इस प्रकार रास्ता कायम किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हे।

आदेश

प्रार्थना पत्र में आवेदित ख.न. पर पहुंचने के लिए मौके पर दो–दो रास्ते उपलब्ध होने पर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

14/9/21
(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/21
(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर